नमाम मापदे वार डेम्ब कारुण्डा

निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ राज0

इजलास श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा R.A.S., उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्या:– 22/2017 दिनांक:– 25/5/17

अनुवान

1– चांदमल पिता मोतीलाल जी पाटीदार आयु 40 साल निवासी कारूण्डा तह0 छोटीसादडी —— वादी

:: बनाम ::

1– मुकेश पिता मोतीलाल जी पाटीदार आयु 43 साल निवासी कारूण्डा तह0 छोटीसादडी

2– राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, छोटीसादडी राज0 ——प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट

## :: निर्णय ::

1—– यह कि मौजा कारूण्डा प0ह0 कारूण्डा तह0 छोटीसादडी में खाता नम्बर 748 में आराजी नं0 1577 रकबा 0.81 हैक्टेयर लगानी 15–80 रूपया स्थित हैं। सिबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070 से 73 मय नक्शा ट्रेस के पेश हैं उक्त आराजी आगे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से जानी जावेगी।

2– यह कि वादग्रस्त आराजी रेवेन्यु रिकार्ड में श्री मुकेश कुमार, चांदमल पिता मोतीलाल जी पाटीदार सा0देह खातेदार के नाम से दर्ज हैं। यानि वादी व प्रतिवादी नम्बर एक के नाम रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज हैं। किसी बैंक, आदि के मोरगेज, रहन आदि नहीं हैं व वादी व प्रतिवादी नम्बर एक के कब्जे काश्त में हैं तथा वादी व प्रतिवादी नम्बर एक सगे भाई हैं तथा दोनों ही भाईयों ने काफी साल पूर्व कलम नम्बर एक में वर्णित आराजी का मौखिक बंटवारा बराबर बराबर कर लिया हैं। वादग्रस्त आराजी में उत्तरी और का भाग आ0नं0 1577 रकबा 0.81 हैक्टेयर में से 0.40 हैक्टेयर जमीन वादी चांदमल के पास हैं व दक्षिण और का हिस्सा आराजी नं0 1577 रकबा 0.81 हैक्टेयर में से 0.41 हैक्टेयर प्रतिवादी नम्बर एक मुकेश कुमार के नाम बंटवारे में दी गयी होकर उक्तानुसार दोनों भाई आराजी का बंटवारा कर अपने अपने हिस्से मौखिक बंटवारा हिस्से पर काबिज काश्त हैं।

3– यह कि अभी दोनों भाईयों में वादी व प्रतिवादी नं0 1 में अच्छा प्रेम हैं व भविष्य में भी रहेगा पर सन्तान आदि में विवाद न हो व दोनों भाईयों में भी जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद न उठे इस हेतु विधिवत बंटवारा वादग्रस्त आराजी का कर वादी अपना हक हिस्सा प्रथक राजस्व रिकार्ड में व नक्शा ट्रेस में कराना चाहता हैं जिस हेतु दस दिन पूर्व वादी प्रतिवादी से मिला व हल्का पटवारी आदि से बंटवारा जमीन का करने बावत् निवेदन किया तो रेवेन्यु अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय में बंटवारा का वाद पेश कर आदेश लाकर देने पर बंटवारा करने की नेक सलाह दी जिस पर नकलें जमाबन्दी आदि की प्राप्त कर यह बंटवारा आराजी का वाद पेश किया जा रहा हैं। वादी अपना हक हिस्सा प्रथक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किये गये। उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा आपसी राजीनामा प्रस्तुत हुआ जिसमें खाता नं0 748 में आराजी नं0 1577 रकबा 0.81 में से 0.40 हैक्टेयर उत्तरी भाग में वादी एवं दक्षिणी भाग में 0.41 हैक्टेयर पर प्रतिवादी संख्या एक काबिज हैं। प्रतिवादी बंटवारा करने में सहमत हैं तथा प्रतिवादी को बंटवारा करने में कोई आपत्ति नहीं हैं।

मैनें विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनि और पत्रावली का अवलोकन किया। दोनों पक्षों द्वारा आपसी राजीनामा हुआ जिसमें खाता नं0 748 में आराजी नं0 1577 रकबा 0.81 में से 0.40 हैक्टेयर उत्तरी भाग में वादी एवं दक्षिणी भाग में 0.41 हैक्टेयर पर प्रतिवादी संख्या एक काबिज हैं। प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं होने से वाद डिक्री किया जाना न्याय संगत हैं।

## आदेश

अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी के हक में प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर, मौजा कारुण्डा प0ह0 कारुण्डा तह0 छोटीसादडी के खाता नं0 748 में आराजी नं0 1577 रकबा 0.81 में से 0.40 हैक्टेयर उत्तरी भाग में वादी एवं दक्षिणी भाग में 0.41 हैक्टेयर पर प्रतिवादी संख्या एक के नाम राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक दर्ज करने हेतु बंटवारा किया जाता हैं। तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी को उपरोक्तानुसार खातेदार काश्तकार के रूप में अमल दरामद किया जावे एवं इसी अनुसार नक्शे में तरमीम हो। डिक्री पृथक से जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25-5-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छोटीसादडी जिला प्रतापगढ